

उपरोक्त पत्रावली देखा हुई। परामर्शानुसार
उपरोक्त पत्रावली में परामर्शानुसार
द्वारा उपरोक्त होकर आपकी
राजिनामा के आधार पर
वाद समाप्त करने का अनुरोध
किया गया। माफिक राजिनामा
डिक्ली जारी कर बाद जारी
समाप्त किया जाता है। पत्रा-
वली फेरवा शुमार ही
नम्बर से कम है।

Tilak Sheth

सदस्य
लोक अदालत
सागवाड़ा

अध्यक्ष
लोक अदालत
सागवाड़ा